उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या- 9/2016/1444 /एक-5-2015-154/2011

लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या-3 सन् 1901) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-2876/1-5-2011-154/2011-रा0-5, दिनांक 28 सितम्बर, 2011 में निम्नवत संशोधन करते है ।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में प्रस्तर-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात :-

" नवसृजित जनपद सम्भल का मुख्यालय **पवाँसा** होगा "

आज्ञा से,

(सुरेश चंद्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1444 (1)/एक-5-2015-154/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, सम्भल।

2- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक 15 दिसम्बर,2015 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 प्रतियां जिलाधिकारी, सम्भल, 20 प्रतियां आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद तथा 50 प्रतियां आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8- राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ/निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in